

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)



क.एफ 4(19)ग्रावि/नरेगा/कार्य.अधि./2010/पार्ट-111

जयपुर, दिनांक :

21 AUG 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।


विषय: महात्मा गांधी नरेगा योजना में पंचायत समिति में सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पदों को संविदा आधार पर अनुबंधित करने के संबंध में।

प्रसंग: इस विभाग के समसमंख्यक पत्र दिनांक 29.04.2011 एवं 29.06.2011

महोदय,


उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा निर्देश दिये गये थे कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति स्तर पर संविदा के आधार पर कार्यक्रम अधिकारी के पद पर कार्यरत याचिकाकर्ताओं को माननीय उच्च न्यायालय के याचिका संख्या 10616/09 कमलेश मीना व अन्य बनाम राज्य में निर्णय दिनांक 31.01.2011 की अनुपालना में सहायक कार्यक्रम अधिकारी के संविदा पद पर चयन के समय इन्हें अवसर देते हुए इनके चयन के बारे में निर्णय हेतु लिया जावे। इस संबंध में पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि जिन जिलों में उक्त निर्देशों के अनुसार याचिकाकर्ताओं को सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया में अवसर नहीं दिया गया है उन जिलों में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.01.2011 की पालना में याचिकाकर्ताओं को सहायक कार्यक्रम अधिकारी के संविदा पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर इन्हें अवसर प्रदान करे तथा विभाग के पत्र दिनांक 29.04.2011 एवं दिनांक 29.06.2011 के अनुसार कार्यवाही करें।

भवदीय,


(अभय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि:- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।


अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस